



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51019

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6711/2026

पंडोही

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: पुनीत श्रीवास्तव, रवि चंद्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. श्री पुनीत श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर श्री अजित मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/जिलाधिकारी, प्रयागराज को दिनांक 22.01.2016 के अभ्यावेदन, जिसकी छायाप्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है, पर विनिश्चय करने का निर्देश दिया जाए।
3. उक्त अभ्यावेदन, जो शपथपत्र के रूप में दायर किया गया है, में कतिपय व्यक्तियों को भू माफिया घोषित करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष चाहता है, जो रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुदत्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और उचित उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका इस स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है कि यदि उचित समझा जाए तो याचिकाकर्ता सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार का सहारा ले सकता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

12 मार्च, 2026

शकलैन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।